सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 17 मैनुअलों का संग्रह

वर्ष 2018–19

उत्तराखण्ड शासन

रोग अनुसंधान प्रयोगशाला
श्रीनगर गढ़वाल

शासनादेशानुसार सूचना के अधिकार 2005

सम्बन्धी मैनुअल

रोग अनुसंधान प्रयोगशाला

श्रीनगर गढ़वाल

अनुक्रमणिका

क्रमांक	मद विवरण	पृष्ठ संख्या
01	प्रस्तावना	1–3
02	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य	4–6
03	अधिकारी/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	7
04	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधियों के परामर्श के लिए बताई गई व्यवस्था	8
05	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम	9
06	कृत्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	10
07	लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण	11–13
08	निर्णय लेने की प्रक्रिया	14–15
09	बोर्ड/परिषदों/समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	16
10	अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशिका	17–18
11	प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक और उसके निर्धारण की पद्धति	19
12	प्रत्येक अभिकरण और बजट आबंटन	20–21
13	अनुदान/रोग सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति	22
14	रियायतों, अनुज्ञापनों तथा अधिकारों के प्राद्धिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण	23
15	इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं	24
16	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	25
17	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां	26
18	अन्य उपयोगी जानकारियां	27

अध्याय 1

प्रस्तावना

ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1892 में सिविल वैटनरी विभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य प्रदेश में अश्व उत्पादन को प्राथमिकता देना था। इसके अंतर्गत बाबूगढ़ (मेरठ) में एक डिपो खोला गया, जहां साामन्य प्रबन्धन के साथ–साथ प्राथमिक चिकित्सा तथा अश्व प्रदर्शनी मेलों का आयोजन कराया जाता था। इसको प्रभावी बनाने हेतु सन् 1901 में सात पशुचिकित्सालयों की स्थापना की गई।

वर्ष 1899 में ग्लैंडर्स एण्ड फारसी तथा 1910 में पशुफार्म माझरा (लखीमपुर) एवं वर्ष 1913 में माधुरीकुन्ड (मथुरा) में स्थापित किए गए पंजाब पशुचिकित्सा विद्यालय लाहौर में पशु सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

वर्ष 1916 में पशुपालन कार्य को गति देने के लिए डिप्टी सुपरिटेन्डेन्टों के अधीन रखकर तीन सर्किलों को बांटा गया तथा अधीनस्थ कर्मचारी जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराए गए डिस्टिक बोर्ड एक्ट 1922 के लागू होने पर कार्यों में आई समस्याओं के फलस्वरूप इसी वर्ष केटल ब्रीडिंग कार्य हेतु मझरा फार्म (खेरी) माधुरीकुन्ड फार्म (मथुरा) कृषि विभाग को सौंप दिए गए ताकि बैनीपुर (आगरा) व आटा (जालौन) में कवाराइन स्टेशन खोले गए। वर्ष 1933 में जब सर्किलों को समाप्त करते हुए वर्ष 1935 में वैटनरी डिपार्टमेंट इन्वेस्टीगेशन आफीसर नियुक्त किए गए। पशुप्रजनन का कार्य कृषि विभाग द्वारा

संतोषजनक न होने के कारण वर्ष 1939 में यह कार्य सिविल वैटनरी डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। इस प्रकार 1944 तक धीरे–धीरे पशुसम्बन्धी सभी कार्य सिविल वैटनरी डिपार्टमेंट को स्थानान्तरित कर दिए गए।

1 अप्रैल 1944 में निदेशक, पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। जिसके द्वारा वर्ष 1946 तक सिविल वैटनरी डिपार्टमेंट के सभी कार्य निदेशक, पशुपालन के नियंत्रण में ग्रहण कर लिए गए।

पशुपालन निदेशालय स्थापित होने के पश्चात पशु, लघु पशु, मछली, कुक्कुट डेरी गौशाला रोग नियंत्रण एवं बचाव कार्य हेतु विभिन्न पदों की स्थापना की गई व वर्ष 1945 में वैक्सीन एवं सीरम के निर्माण हेतु बी0पी0कनेक्शन एवं कृत्रिम गर्भाधान व बांझपन हेतु ऐनीमल जेनेटिक्स की नियुक्ति की गई व वर्ष 1946 में माधुरी कुण्ड (मथुरा) क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान केन्द्र खोला गया।

1947 में पशुचिकित्सालय के नियंत्रण हेतु यू0पी0 प्राविलाईजेशन ऑफ हास्पीटल एक्ट तथा वैटनरी प्रेक्टिशनर के पंजीकरण हेतु यू0पी0 वैटनरी कौंसिल एक्ट पारित किए गए।

वर्ष 1953 में गौ संवर्धन इन्क्वायरी कमेटी का गठन किया गया। जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 अस्तित्व में आया। आने वाले समय की मांग को देखते हुए क्रमशः 1947 व 1960 में पशुचिकित्साविभाग एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा एवं पंतनगर नैनीताल की स्थापना की गई। जिसके अंतर्गत 4 वर्षीय बी0वी0एस0सी0 तथा 2 वर्षीय एम0वी0एस0सी0 पाठ्यक्रमों की शुरूआत हुई ।

वर्ष 1964 में यू0पी0लाईवस्टाक डेवलेपमेंट एक्ट यू0पी0 गौशाला एक्ट पारित किए गए एवं इसके अतिरिक्त यू0पी0 काऊ शेल्टर नियम बनाए गए।

उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित पशुपालन निदेशालय में सर्वप्रथम निदेशक की सहायता हेतु अपर निदेशक, उपनिदेशक, मुख्यालय लघुपशु (के विपेज स्कीम)(रिन्डर पैस्ट)

बनाए। इसके अतिरिक्त निम्न अनुभाग पशुधन अनुभाग, सामान्य अनुभाग, आडिट एवं लेखा स्थापना योजना, सांख्यिकी पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र स्थापित किए गए। पशुधन विकास के अंतर्गत नस्ल सुधार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कालसी फार्म (मथुरा) तथा आटा (जालौन) निदेशक के नियंत्रण में स्थापित किए गए और ग्रामीण जनपदों को लाभ देने के लिए राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र पशुलोक ऋषिकेश एवं राजकीय पशुधन एवं दुग्धशाला प्रक्षेत्र कालसी देहरादून में स्थापित है।

बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु 9 सर्किलों में बांटा गया और प्रत्येक सर्किल में उपनिदेशक कार्य देखने हेतु रखे गए, उत्तराखण्ड राज्य में 2 सर्किल से मण्डल अब भी कार्यरत हैं।

1. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।

तथा प्रत्येक जनपद में पशुचिकित्साधिकारी रखे गए हैं। जो अब उत्तराखण्ड राज्य में 13 जनपदों में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालन विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित बोर्ड एवं कार्यालय, पशुचिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्र स्थापित हैं।

रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल से सम्बन्धित सूचना के अधिकार से सम्बन्धित मैनुअल

1.(1) पृष्ठभूमि : रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल की स्थापना वर्ष 1974–1975 में की गई।

1.(2) उद्देश्य : जनपद रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में फैलने वाले रोगों का निदान, चिकित्सा एवं नियंत्रण करना।

1.(3) उपयोगिता : यह हस्तपुस्तिका पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों/राजकीय संस्थाओं/गैर राजकीय संस्थाओं हेतु रोग नियंत्रण/निदान/सलाह हेतु उपयोगी है।

1.(4) उक्त हस्तपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के प्रारूपों में।

1.(5) परिभाषायें :

1. पशुचिकित्साधिकारी (शोध)
2. प्रयोगशाला प्राविधिक
3. प्रयोगशाला परिचर

1.(6) विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क व्यक्ति :

1. रोग अनुसंधान अधिकारी (लैब)
2. पशुचिकित्साधिकारी (शोध)
3. प्रायोजना निदेशक, लघु पशु गढवाल मण्डल, पौड़ी
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

अध्याय – 2

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

इस योजना का उद्देश्य भेड़/बकरी/शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों/मेढ़ा केन्द्रों से सैम्पल नमूने जैसे फीकल सैम्पल, रक्त मूत्र, खाल, लार व विसरा आदि एकत्र करने पर प्रयोगशाला जांच करने के उपरान्त परिणामों से अवगत कराने पर उपचार सम्बन्धी जानकारी दी जाती है। इस प्रयोगशाला की स्थापना 1975 में पशुधन में रोगों पर नियंत्रण हेतु की गई।

इस प्रयोगशाला के अंतर्गत रोग नियंत्रण में आने वाले प्रक्षेत्र/जनपद :–

	जनपद	प्रक्षेत्र
1.	उत्तरकाशी	1. पीपलकोटी – चमोली
2.	चमोली	2. केदारकांठा – चमोली
3.	रूद्रप्रयाग	3. अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र/शशक प्रजनन प्रक्षेत्र ग्वालदम, चमोली
		4. बंगाली, चमोली
		5. डुण्डा, उत्तरकाशी
		6. थलकुण्डी, उत्तरकाशी
		7. खलियान बांगर, रूद्रप्रयाग
		8. मक्कू, रूद्रप्रयाग

उपरोक्त जनपदों/प्रक्षेत्रों में आने वाले समस्त मेढ़ा केन्द्र/पशु सेवा केन्द्र

3. (2) संगठन का मिशन :–

पशुधन को स्वस्थ रखकर मृत्युदर को नियंत्रण करना

2. (3) संगठन के कर्तव्य :–

प्रक्षेत्रों/क्षेत्रों से बीमारी सूचना आने पर उक्त प्रक्षेत्रों में जाकर नमूने एकत्र कर रोग नियंत्रण सम्बन्धी सलाह देने पर बीमारी पर नियंत्रण करना।

2. (4) संगठन के मुख्य कृत्य

नमूनों की प्रयोगशाला जांच करना है।

2. (5) संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण

रोगग्रस्त क्षेत्रों में जाकर रोग नियंत्रण सम्बन्धी सलाह देना एवं सैम्पल एकत्र करना।

2. (6) संगठन का संक्षिप्त इतिहास एवं इसके गठन का प्रसंग

रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना 1975 में हुई है। जिसका मुख्य उद्देश्य पशुधन में मृत्युदर को रोकना है।

2. (7) संगठन का ढांचा

1. प्रशासनिक अधिकारी – संयुक्त निदेशक/रो0अ0अ0 (लैब)
2. पशुचिकित्साधिकारी (शोध) – ग्रेड 2
3. प्रयोगशाला प्राविधिक
4. प्रयोगशाला परिचर

2. (8) योजना की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षाएं :–

क्षेत्रों/प्रक्षेत्रों हेतु रोगमुक्त पशुधन को रखने हेतु रोग की सूचना देने पर रोगी पशुओं से लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला जांच कर रोग निदान की सलाह देना होता है।

2. (9) जनसहयोग सुनिश्चित करने हेतु विधि व्यवस्था :–

पशुपालन के कर्मचारियो/अधिकारियों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जनसहयोग प्राप्त करना।

2. (10) जनसेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :–

1. रोग अनुसंधान अधिकारी (लैब)
2. प्रायोजना निदेशक, लघु पशु गढवाल मण्डल, पौड़ी
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर सचिव, पशुधन एवं मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड श्शासन।
6. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं उत्तरकाशी।

2. (11) मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :–

1. रोग अनुसंधान अधिकारी (लैब), श्रीनगर गढ़वांल
2. प्रायोजना निदेशक, लघु पशु गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. निदेशक, पशुपालन विभाग (उत्तराखण्ड) देहरादून।
5. अपर सचिव, पशुधन एवं मत्स्य उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. (12) कार्यालय खुलने एवं बंद होने का समय :–

प्रातः 10 बजे , सायं 5 बजे बंद।

रोग नियंत्रण कार्य 24 घंटे (कभी भी)

अध्याय – 3 (मैनुअल – 2)
अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

4. अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :–

पदनाम	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य	कर्तव्य
रोग अनुसंधान अधिकारी (लैब)	रोग नियंत्रण सम्बन्धी व्यवस्था करना	पशु चिकित्साधिकारी, श्रीकोट/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पौड़ी	–	रोग नियंत्रण सम्बन्धी समस्त व्यवस्था
पशुचिकित्साधिकारी (शोध)	नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच	–	–	एकत्रित नमूनों की जांच करना
प्रयोगशाला प्राविधिक	–	–	–	प0चि0अ0 के साथ प्रयेागशाला जांच करने में सहायता करना व उपकरणों का रखरखाव
प्रयोगशाला परिचर	–	–	–	प्रयोगशाला जांच में सहयोग व प्रयोगशाला उपकरणों की सफाई करना
प्रायोजना निदेशक, लघु पशु गढवाल मण्डल पौड़ी	––	––	–	लघु पशु सम्बन्धी परियोजनाओं को देखना व समस्त प्रक्षेत्रों के रखरखाव की व्यवस्था करना
अपर निदेशक, प0पा0वि0 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	समस्त मण्डलीय प्रशासनिक अधिकार	–	–	समस्त मण्डलीय प्रशासनिक अधिकार
निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	समस्त प्रक्षेत्रों का निरीक्षण, अनुश्रवण समीक्षा	–	–	समस्त प्रक्षेत्रों का निरीक्षण, अनुश्रवण एवं समीक्षा करना
सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	विभाग का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण	–	–	विभाग का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण

अध्याय – 4 (मैनुअल – 3)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई

व्यवस्था का विवरण

5. (1) लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि का परामर्श / भागीदारी का प्रावधान :–

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
01.	योजना का क्रियान्वयन	हां	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग, चमोली व उत्तरकाशी के माध्यम से

5. (2) नीति के क्रियान्वयन हेतु :–

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि का परामर्श / भागीदारी का प्रावधान :–

क्रमांक	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है	जनता की भागादारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
01.	चिकित्सा	हां	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग, चमोली व उत्तरकाशी के माध्यम से

अध्याय – 5 (मैनुअल – 4)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

समय–समय पर विभागीय मानकों के अनुरूप समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल मानकों के अनुसार नमूनों की प्रयोगशाला जांचकर कुल संख्या – 10679

रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, श्रीनगर–गढ़वाल के अंतर्गत सम्पादित कार्यों की भौतिक प्रगति विवरण **PROGRESS OF LABS YEAR 2018-19**

Name of Lab : Disease Investigation Lab, Srinagar Garhwal
Month : March 2019

S.No.	Particular of test	Cummlative	Remark
1.	Blood sample	770	------
2.	Fecal Examination	4876	------
3.	Tuberclosis	------	------
4.	Paratuberclosis	------	------
5.	Mastitis	227	
6.	Skin Scrapping	1500	------
7.	Sample referred to other labs a. Bird flu b. AICRP NIVEDI Serum sample c. FMD-CP d. FMD-PD e. Glanders f. others g. SWAB **Total**	 400 --- 1495 50 60 --- 105 1480	------
8.	**OTHERS**		
A.	Urine analysis	312	------
B.	Antibiotic sen.	------	------
C.	Bioche.	------	------
D.	Morbid tissue	------	------
E.	Post Mortem	------	------
F.	Leukogram	------	------
G.	Haemogram	770	------
H.	Outbreak	------	------
I.	Brucellosis	-----	------
	Total	10679	

अध्याय – 6 (मैनुअल – 5)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनिमय, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

4. कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका

अभिलेख का नाम एवं विवरण	अभिलेख का प्रकार/अन्य जानकारी
वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो, भाग – चार	नियम/विनिमय
नियम/विनिमय	स्थापना अवकाश प्रकरण, वेतन निर्धारण आदि को अग्रसारित कर आहरण वितरण अधिकारी/सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना
नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख प्रति कहां से प्राप्त कर सके हैं ?	पशुचिकित्साधिकारी, श्रीकोट, श्रीनगर/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी/अपर निदेशक, ग0म0 पौड़ी/निदेशक, प0पा0, उत्तराखण्ड, देहरादून/अपर सचिव पशुधन एवं मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड शासन
नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	नहीं

अध्याय – 7 (मैनुअल – 6)
लोक प्राधिकारी के पास उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

क्रमांक	प्रवर्ग	दस्तावेजों का नाम/परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/ नियंत्रणाधीन
01	लेखा	1. बजट पत्रावली – नहीं 2. अनुदान बजट – नहीं 3. शासनादेश 1980 से पूर्व की 4. आर्डर (सम्प्रेक्षण) विभागीय 5. महालेखाआर्डर – नहीं 6. बजट पंजिका – नहीं 7. कन्टीजेंसी रजिस्टर/पत्रिका 8. टी0ए0पत्रावली 9. टी0ए0पंजिका – नहीं	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी/पशुचिकित्सा धिकारी, श्रीनगर/अपर निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी/ निदेशक/सचिव, पशुधन एवं मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड	रोग अनुसंधान अधिकारी (लैब)
02	कैश	1. कैश बुक पंजिका 2. कैश रसीद बुक 3. बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर 4. वेतन पंजिका 5. व्यय विवरण पंजिका 6. लेखन सामग्री पंजिका 7. शासकीय डाक टिकट पंजिका		
03	स्थापना	1.स्थापना से संबंधित पत्रावली 2. समस्त कर्मचारियों की व्यक्तिगत		

		पत्रावली 3. समस्त पत्र व्यवहार पंजिका 4. आकस्मिक अवकाश पंजिका 5. आकस्मिक अवकाश पत्रावली 6. राजकीय भूमि/भवनों से सम्बंधित पत्रावली 7. मासिक रिक्यूजिशन पत्रावली 8. डाक टिकट से संबंधित पंजिका 9. उपस्थिति पंजिका 10. स्टेशनरी स्टाक बुक 11. कंटीजेंट स्टाक बुक 12. स्टेशनरी इन्डेन्ट रजिस्टर 13. बैंकिग रजिस्टर		
04	पत्र प्रेषण	1.डाक टिकट से संबंधित पंजिका 2. पत्र प्रेषण संबंधी पंजिका		
05		1.रोग नियंत्रण से संबंधित पत्रावली 2. मासिक प्रगति पत्रावली 3. मासिक प्रगति प्राप्त पंजिका 4. पानी से संबंधित पत्रावली एवं पंजिका 5. विद्युत से संबंधित पत्रावली एवं पंजिका 6. रसायन से संबंधित पंजिका 7. उपकरणों से संबंधित पंजिका 8. रोग नियंत्रण सें संबंधित समस्त		

		पत्र व्यवहार मानक आदि 9. प्रयोगशला एम0पी0आर0 पत्रावली 10. फील्ड सैम्पल स्टाक रजिस्टर 11. ग्वाल केयर बुक 12. कैमिकल स्टाक बुक 13. मिस्क्लिनियस स्टाक बुक 14. बुक्स स्टाक बुक 15. आई0वी0आर0आई0 पत्रावली 16. टैक्निकल सरकुलर पत्रावली (12) 17. उत्तराखण्ड में पशु बीमारी पत्रावली 18. स्टाक एकाउन्ट पत्रावली 19. एडीसन/एकाउन्ट पत्रावली 20. वैल्सीन गाईड फाईल 21. नीलामी पंजिका 22. प्रयोगशाला के कक्ष निर्माण पत्रावली 23. स्टोर संबंधी रजिस्टर 24. डेड आर्टिकल स्टोर बुक 25. स्टेशनरी स्टाक बुक 26. इलैक्ट्रिकल स्टाक बुक 27. कन्टीजेंट स्टाक बुक		

		28. कैमिकल स्टाक बुक 29. सैम्पल रिसीव स्टाक बुक 30. रासायनिक विश्लेषण रजिस्टर 31. स्टेशनरी इन्डेन्ट रजिस्टर		

अध्याय – 8 (मैनुअल – 7)
निर्णय लेने की प्रक्रिया

9. निर्णय लेने की प्रक्रिया :–

(1) किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया – वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा विभागीय नियमों के अनुसार।

(2) किसी विषय पर निर्णय लिए जाने के नियम एवं प्रक्रिया – मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी/पशुचिकित्साधिकारी, श्रीनगर/अपर निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी/ निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून/सचिव, पशुधन एवं मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड

(3) विभिन्न स्तर पर वित्त अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी/पशुचिकित्साधिकारी, श्रीनगर/अपर निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी/ निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून /अपर सचिव/सचिव पशुधन एवं मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड

(4) अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत सचिव पशुपालन उत्तराखण्ड शासन।

(5) मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है।

1. विषय जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है – विभागीय

2. निर्णय लेने की प्रक्रिया – शासनादेश संग्रह अनुसार

3. निर्णय लेने में शामिल – पशुचिकित्साधिकारी, श्रीकोट, श्रीनगर/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पौड़ी/अपर निदेशक, ग0म0 पौड़ी,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी रूद्रप्रयाग,
चमोली व उत्तरकाशी/निदेशक, प0पा0,
उत्तराखण्ड, देहरादून/ अपर सचिव पशुधन एवं
मत्स्य विभाग उत्तराखण्ड शासन

4. निर्णय लेने में शामिल – दूरभाष/पत्राचार के माध्यम से

5. निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील करें – अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढवाल मण्डल, पौड़ी

(पत्राचार या फैक्स द्वारा)

अध्याय – 9 (मैनुअल – 8)

बोर्ड परिषदों समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

शीप बोर्ड एण्ड वूल डेव्लेपमेंट बोर्ड

या

(भेड़/बकरी/शशक प्रजनन प्रक्षेत्र/ऊन अनुसंधान केन्द्र)

अध्याय – 10 (मैनुअल – 9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

स्टाफ का विवरण, नाम व पूरा स्थाई पता

क्र0सं0	नाम पदनाम	दूरभाष कार्यालय / मोबाइल	फैक्स	ई–मेल	पता
01	डॉ0 राजेन्द्र मठपाल	8755552606	––	r_mathpal@rediffmail.com	रो0अ0प्रयोगशाला श्रीनगर गढ़वाल
02	डॉ0 अमितपाल पंवार	999707717	––	Amit.panwar47@gmail.com	रो0अ0प्रयोगशाला श्रीनगर गढ़वाल
03	श्री राजकुमार, पशुधन सहायक	8755054070	––		रो0अ0प्रयोगशाला श्रीनगर गढ़वाल

10. अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशिका (मैनुअल – 10)

10.1 जनपदवार सूची –

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष कार्यालय	आवास	फैक्स	ई–मेल	पता
01	डॉ0 शरद भंडारी	मु0प0चि0अ0	01372	252267				कार्यालय मु0प0चि0अ0 चमोली
02	डॉ0 प्रलयंकर नाथ	मु0प0चि0अ0	01374	2223202				मु0प0चि0अ0 उत्तरकाशी
03	डॉ0 एस0के0 सिंह	मु0प0चि0अ0	01368	223084				कार्यालय मु0प0चि0अ0 पौड़ी
04	डॉ0 रमेश नितवाल	मु0प0चि0अ0	01364	233251				कार्यालय मु0प0चि0अ0 रूद्रप्रयाग

अध्याय – 11 (मैनुअल –10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क्र0सं0	नाम पदनाम	वेतनमान	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति
01	डॉ0 राजेन्द्र मठपाल संयुक्त निदेशक	78800–209200	शासनादेशानुसार
02	डॉ0 अमित पाल पंवार पशुचिकित्साधिकारी	56100–177500	शासनादेशानुसार
03	श्री राजकुमार पशुधन सहायक	25500–81100	शासनादेशानुसार

क्र0सं0	नाम	वेतनमान	कुल देय	कटौती	शुद्ध देय
1.	डॉ0 राजेन्द्र मठपाल, संयुक्त निदेशक	78800–209200	138728	25400	113328
2.	डॉ0 अमित पाल पंवार पशुचिकित्साधिकारी	56100–177500	92828	9429	83399
3.	श्री राजकुमार पशुधन सहायक	25500–81100	36416	3600	32816

अध्याय – 12 (मैनुअल – 11)

प्रत्येक अभिरण को आबंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा विवरण की सूचना)

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए (राज्य सरकार द्वारा) वर्ष 2015–16 की वित्तीय प्रगति

क. निदेशन प्रशासन

क्र0सं0	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किस्तों में)	कुल व्यय
01	01 वेतन	–	–	–	
02	03 महंगाई भत्ता	–	–	–	सूचनांए
03	04 यात्रा भत्ता	–	–	–	पशु चिकित्साधिकारी
04	06 अन्य भत्ता	–	–	–	श्रीकोट
05	महंगाई भत्ता डी0पी0	–	–	–	एवं
06	08 कार्यालय व्यय	–	–	–	मुख्य
07	09 विद्युत	–	–	–	पशु चिकित्साधिकारी
08	10 जलकर	–	–	–	पौड़ी
09	16 व्यवसायिक श्शुल्क	–	–	–	के
10	19 अनुरक्षण एवं मद	–	–	–	पास
11	17 किराया उपशुल्क	–	–	–	उपलब्ध हैं।
12	26 मशीन साजसज्जा	–	–	–	
13	27 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	–	–	–	
14	29 अनुरक्षण	–	–	–	
15	39 औषधि रसायन	–	–	–	
16	42 अन्य व्यय	–	–	–	
	योग				

अध्याय – 13 (मैनुअल – 12)

अनुदान/रोग सहायता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रीति

कोई नहीं

अध्याय – 14 (मैनुअल – 13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

कोई नहीं

अध्याय – 15 (मैनुअल – 14)

इलैक्ट्रानिक्स रूप में उपलब्ध सूचनाएं

कुछ नहीं

अध्याय – 16 (मैनुअल – 15)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

अखबार –

प्रदर्शनी –

सूचना पटल –

विभागीय मैनुअल – मण्डलीय/रीजनल कार्यालय के माध्यम से

अध्याय – 17 (मैनुअल – 16)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8. (1) लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियो तथा विभागीय अपीलीय अथौरिटी के सम्बन्ध में सूचना –

क – (लोक सूचना अधिकारी)

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष कार्यालय	आवास	फैक्स/ई–मेल	पता
1.	डॉ0 राजेन्द्र मठपाल	संयुक्त निदेशक	––	––	875552606	r_mathpal@rediffmail.com	रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, श्रीनगर–गढवाल

ख – (सहायक लोक सूचना अधिकारी)

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष कार्यालय	आवास/मोबाइल नं0	फैक्स/ई–मेल	पता
1	डॉ0 अमित पाल पंवार	पशुचिकित्साधिकारी	––	––	999707717	Amit.panwar47@gmail.com	रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, श्रीनगर–गढवाल

ग – (विभागीय अपीलीय अथौरिटी)

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	दूरभाष कार्यालय	आवास	फैक्स/ई–मेल	पता
1.	डॉ0 प्रेम कुमार	अपर निदेशक	01368	222480		adahgarhwal@gmail.com	कार्यालय अपर निदेशक प0पा0विभाग गढवाल मण्डल पौड़ी

अध्याय – 18 (मैनुअल – 17)

अन्य उपयोगी जानकारियां

कुछ नहीं